न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के0पाटन जिला बून्दी

गोविन्दलाल वगै बनाम दुर्गाशंकर
137/दावा/2004

: : – निर्णय : : –

वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। जिसमें खसरा संख्या 1909 रकबा 0.31 है0, खसरा संख्या 1910 रकबा 0.25 है0, खसरा संख्या 1912 रकबा 0.13 है0, खसरा संख्या 2121 रकबा 0.02 है0, खसरा संख्या 2122 रकबा 1.24 है0, खसरा संख्या 2123 रकबा 1.67 है0, खसरा संख्या 2136 रकबा 0.45 है0, खसरा संख्या 2340 रकबा 0.42 है0, खसरा संख्या 2352 रकबा 0.98 है0, खसरा संख्या 2373 रकबा 2.11 है0, खसरा संख्या 2377 रकबा 0.99 है0 कुल किता 11 कुल रकबा 8.97 है0 वाके ग्राम व माल अरनेठा में स्थित है। उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी में दर्ज रहेगी। जिसमें हम वादीगणों को कोई आपत्ति नहीं है। विवाद पारिवारिक होने के कारण राजीनामा हो गया है। वादीगण प्रतिवादीगणों के विरूद्व कोई सहायता माननीय न्यायालय से प्राप्त नहीं करना चाहते है। राजीनामे के अनुसार वाद पत्र को खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

वादीगण को संबंधित अधिवक्ता एवं प्रतिवादीगण को सम्बंधित अधिवक्ता के द्वारा आईडेन्टीफाईड किया। वादी संख्या 1 भंवरीबाई की मृत्यु होने से मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 07.07.2010 पेश किया तथा दोनो पक्षों के द्वारा राजीनामें में वर्णित तथ्यों को स्वीकार किया है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 24.01.2025 को बाद जॉच तस्दीक किया जाकर शा0फा0 किया गया। राजीनामा के आधार पर वादीगण का वादपत्र खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है।

परिणामस्वरूप राजीनामा के आधार पर उक्त वर्णित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी में दर्ज रहेगी। जिसमें वादीगणों को कोई आपत्ति नहीं होने से राजीनामे के आधार पर वादीगण का वाद पत्र खारिज किया जाता है। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 24.01.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(दीपक सिंह खटाना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

Scanned with OKEN Scanner

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Prodeedure Code Appendix 'd'-1)

अज अदालत इजलास–
उपखण्ड अधिकारी मुकाम के0पाटन
वाद पत्र संख्या

दीपक सिंह खटाना
आर.ए.एस.
114/2016

1. गोविन्दलाल आ0 केदारलाल (मृतक) जरिये वारिसान जाति महाजन निवासी अरनेठा तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज.
   1/1 भंवरी बाई बैवा गोविन्दलाल
   1/2 बाबूलाल पुत्र गोविन्दलाल
   1/3 श्रीनाथ पुत्र गोविन्दलाल

.......वादीगण

//बनाम//

1. दुर्गाशंकर पुत्र कल्याण जाति महाजन निवासी अरनेठा तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0
2. मुरली पुत्र कल्याण जाति महाजन निवासी अरनेठा तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0
3. बिरधी बाई बैवा कल्याण जाति महाजन निवासी अरनेठा तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0
4. जानकीबाई पत्नि भौलाशंकर पुत्री कल्याण जाति महाजन निवासी अरनेठा तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार के0पाटन

.......प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से श्री राधेश्याम बजाज व प्रतिवादीगण की ओर से श्री हंसराज रेबारी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 24.01.2025 को हुक्म दिया जाता है व वाद निम्नानुसार डिकी किया जाता है कि :–

"तहसीलदार के0पाटन को आदेशित किया जाता है कि खसरा संख्या 1909 रकबा 0.31 है0, खसरा संख्या 1910 रकबा 0.25 है0, खसरा संख्या 1912 रकबा 0.13 है0, खसरा संख्या 2121 रकबा 0.02 है0, खसरा संख्या 2122 रकबा 1.24 है0, खसरा संख्या 2123 रकबा 1.67 है0, खसरा संख्या 2136 रकबा 0.45 है0, खसरा संख्या 2340 रकबा 0.42 है0, खसरा संख्या 2352 रकबा 0.98 है0, खसरा संख्या 2373 रकबा 2.11 है0, खसरा संख्या 2377 रकबा 0.99 है0 कुल किता 11 कुल रकबा 8.97 है0 वाके ग्राम व माल अरनेठा प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी में दर्ज रहेगी एवं वादीगणों को कोई आपत्ति नहीं होने से राजीनामे के आधार पर वादीगण का वाद पत्र खारिज किया जाता है। उक्तानुसार पर्चा डिकी जारी हो। पक्षकार खर्चा अपना–अपना वहन करें।"

नीज ....ग................. मुबलिक ....ग................ बाबत ....ग............. खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व षरह ....ग................. फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलवादी तक ....ग................. को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज दिनांक 24.01.2025 को जारी की गई।

मोहर

(दीपक सिंह खटाना)
उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner